"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 232] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 26 अगस्त 2010—भाद्र 4, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-44/2010/वाक/पांच (61).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

उक्त नियमों के नियम 80 में अंक "60" के स्थान, शब्द एवं अंकों "31 मई, 2006" प्रतिस्थापित किया जाय.

2. यह संशोधन दिनांक 01-04-2006 से प्रभावशील माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्रमांक एफ-10-44/2010/वाक/पांच (61).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-44/2010/वाक/पांच (61), दिनांक 26-08-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 26th August 2010

NOTIFICATION

No. F-10-44/2010/CT/V (61).—The exercise of the powers conferred by Section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby make the following amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rule, 2006, namely,—

AMENDMENT

In the said rule, in rule 80 for the figure "60" the word and figure "31st May, 2006" shall be substituted.

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 01-04-2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.